पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

रेस्टो० 631-I-15

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल केम्प सागर

(2)

१. पदमचंद जैन वल्द दीपचंन्द जैन

निवासी दुर्गेश विहार जे.के.रोड भोपाल तहसील व जिला भोपाल

२. सुमतरानी पत्नि दीपचंद जैन

निवासी प्रियदर्शनी नगर, रायपुर तहसील व जिला रायपुर

द्वारा कारंदा - गगन जैन वल्द पद्मचंद जैन

निवासी दुर्गेश विहार जे.के.रोड भोपाल तहसील व जिला भोपाल

................आवेदक

16-3-15

विरूद्ध

श्रीमती अर्चना मिश्रा पत्नि यज्ञदत्त मिश्रा

निवासी अंकुर कालोनी जैन मंदिर के पास रजाखेड़ी

त्हसील व जिला सागर

.................अनावेदि

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक - 2932 खारिज दिनांक ०५/०२/२

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा ३५ म.प्र.भू–राजस्व संहिता ।

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

१. यह कि उपरोक्त पुनरीक्षण प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक ०५/०२/२०१५ अंतिम तर्क हेतू नियत था। ।

२. यह कि दिनांक ०५/०२/२०१५ को उपरोक्त पुनरीक्षण प्रकरण माननीय न्यायालय के आवेदकगण की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है ।

३. यह कि दिनांक ०५/०२/२०१५ को स्थानीय पंचायत चुनाव होने के कारण सिविल न्याय ने अवकाश घोषित कर दिया था तथा अन्य राजस्व न्यायालयों में भी स्थानीय पंचायत चुनाव होने के व लंबित प्रकरणों की सामूहिक पेशियां बढ़ाई गई थीं ।

४. यह कि आवेदकगण के अधिवक्ता दिनांक ०५/०२/२०१५ को स्थानीय पंचायत चुनाव हो कारण सिविल न्यायालय ने अवकाश घोषित कर देने के कारण सभी जगह का अवकाश मान बैठे उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था इसी वजह से वे दिनांक ०५/०२/२०१५ को माननीय न्यायालय के उपस्थित नहीं हो पाए ।

५. यह कि आवेदकगण वृद्ध हैं और वे भी सागर के बाहर निवास करते हैं । आवेदकग

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

②

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक ~~निगरानी~~ रेस्टोरेशन 631—एक / 15 जिला— सागर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. आदि के हस्ताक्षर
7—4—2015 सागर कैम्प	आवेदक की ओर से श्री रामराजसिंह ठाकुर अधिवक्ता उपस्थित। उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना । विचारोपरांत रेस्टोरेशन में सुनवाई के पर्याप्त आधार होने से रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार किया जाता है । मूल प्रकरण कमांक निगरानी 2932—दो / 2012 पुनः नम्बर पर लिया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । प्रशासकीय सदस्य	